

दिनांक

आज्ञा पत्र

28.4.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसपो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 29/11/22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 30.8.22 को पेश हो।

30.8.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसपो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 30.8.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 29.11.22 को पेश हो।

29.11.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसपो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 30.8.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 30.11.22 को पेश हो।

30.1.22

पत्रावली पेश वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी लिथि से पूर्व तामील से शेष रेसपोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी लिथि पर आदेश 5 किगम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक उपाचार में रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलकर्ता अपील के प्रति गम्भीर नहीं हैं। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 5 किगम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय तरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौजदारी हुंकार नम्बर से कम होकर बाद तारीख तकमील दाखिल दफतर हो।

सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प झुन्झान)

